

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 21/2022

1. श्रीचन्द उम्र 61 वर्ष पुत्र जयकरण जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनु
2. ओमप्रकाश उम्र 67 वर्ष पुत्र जयकरण जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनु

वादी

बनाम

1. सुमेर उम्र 50 वर्ष पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनु
2. चान्दकोर उम्र 72 वर्ष पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनु
3. अभिनेष उम्र 33 वर्ष पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनु
4. कमला देवी उम्र 53 वर्ष पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनु
5. अल्का उम्र 28 वर्ष पुत्री विधाधर जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनु
6. निर्मला देवी उम्र 46 वर्ष पत्नी विधाधर जाति जाट निवासी पीपल का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनु
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत धोषणार्थ, खाता विभाजन, रिकार्ड दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा निर्णय

निर्णय दिनांक 27.04.2022

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम पीपल का बास पटवार हल्का सोनासर की सरहद में भूमि हाल खसरा न0 331 रकबा 2.45 है0, ख0न0 335 रकबा 1.40 है0, ख0न0 337 रकबा 0.40 है0, ख0न0 338 रकबा 0.25 है0 व ख0न0 339 रकबा 0.42 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 4.92 है0 भूमि अवस्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी काश्त की पैतृक भूमि है। भूमि ख0न0 331 में वादीगण काबिज काश्त है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ख0न0 335, 337, 338 व 339 पर काबिज काश्त है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा ख0न0 331 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व ख0न0 335, 337, 338 व 339 की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज कर दी जो काबिले दुरुस्ती योग्य है। अंत में ग्राम पीपल का बास की सरहद में भूमि हाल खसरा न0 331 रकबा 2.45 है0



उपखण्ड अधिकारी  
मलसीसर

अभि

ओमप्रकाश

वादीगण तथा ख0न0 335 रकबा 1.40 है0, ख0न0 337 रकबा 0.40 है0, ख0न0 338 रकबा 0.25 है0 व ख0न0 339 रकबा 0.42 है0 भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के मध्य अलग से खाता विभाजन करने का आदेश फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया तथा वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के अनुरूप वाद वादी डिक्री किये जाने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं होना जाहीर किया।

जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये वाद वादी स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि में चाही गई सिद्धि अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाकर अलग से खाता विभाजन करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा ग्राम पीपल का बास की सरहद में स्थित भूमि हाल खसरा न0 331 की खातेदारी अपने नाम तथा ख0न0 335, 337, 338, 339 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज किया जाकर तदनुसार अलग खाता विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब एवं प्रदत्त सहमती के प्रकाश में वादपत्र में वादी द्वारा चाही गई सिद्धि अनुसार वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

### निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपल का बास की सरहद में स्थित भूमि हाल खसरा न0 331 रकबा 2.45 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का नाम हजफ कर वादीगण तथा ख0न0 335 रकबा 1.40 है0, ख0न0 337 रकबा 0.40 है0, ख0न0 338 रकबा 0.25 है0 व ख0न0 339 रकबा 0.42 है0 में वादीगण का नाम हजफ कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खाता विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मलसीसर को 1000/- रुपये फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 6 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जेकाश्त के अनुसार रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादी द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार मलसीसर को तहरीर जारी हो। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(साधुराम जाट)  
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर  
उपखण्ड अधिकारी  
मलसीसर